ओम प्रकाश

बनाम

यू. पी. राज्य

(2008 की आपराधिक अपील संख्या 145)

22 जनवरी, 2008

(डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सतशिवम, जे. जे.)

रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम, 1966I 2 ((घ) और (3):

कास्ट आयरन ग्रेड-1/ के कब्जे में ठेकेदार पाया गया। अनाधिकृत परिवहन के लिए रेलवे संपत्ति-ट्रायल कोर्ट द्वारा अभियुक्त को अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध करने का दोषी पाया गया, और उसे एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई। प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई । अपील पर आयोजितः अभिलेख पर साक्ष्य से, अभियुक्त विचाराधीन माल के गैरकानूनी कब्जे में पाया गया । चूंकि प्रावधानों के तहत न्यूनतम एक वर्ष की सजा निर्धारित की गई है। सजा में कमी की अनुमति नहीं।

सूचना मिलने पर, पुलिस निरीक्षक के साथ अन्य पुलिस कर्मी रेलवे स्क्रैप यार्ड में गए और आरोपी-अपीलार्थी को एक ट्रक में लोडेंड आयरन ग्रेड- 1 कास्ट के कब्जे में पाया। कथित तौर पर अनाधिकृत रूप सें

परिवहन के लिए निचली अदालत ने अपीलार्थी ठेकेदार को रेलवें संपति (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम, 1966, 2 (घ) और (3) की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध करने का दोषी पाया और उसें एक वर्ष कारावास की सजा सुनायी। इसके खिलाफ दायर अपील को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था और उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण याचिका को भी खारिज कर दिया गया था। इसलिए वर्तमान अपील अपीलार्थी ने तर्क दिया कि वह माल का मालिक नहीं था, बल्कि केवल एक मजदूर था, और यह कि सजा उसे पहले से गुजर चुकी अवधि तक कम किया जा सकता है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

1.1 अभिलेख पर साक्ष्य से यह पाया गया कि कास्ट आयरन ग्रेड- 1 की उपस्थिति विवादित नहीं है। अपीलार्थी का रुख यह था कि कोई अन्यथा विचाराधीन माल का नीलामी खरीदार था और उसकी कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन सभी स्तरों पर ऐसा प्रतीत होता है कि वह ट्रक के पास मौजूद था। उन्हें ठेकेदार के रूप में वर्णित किया गया और उनकी उपस्थिति में विश्लेषण किया गया और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह भी स्पष्ट है कि ठेकेदार के रूप में उन्हें वस्तुओं को उतारने के लिए कहा गया था और उसने अपने मजदूरों को सामान उतारने के लिए बुलाया था। इसलिए यह निष्कर्ष कि वह कास्ट आयरन ग्रेड- 1 के गैरकानूनी कब्जे में था।

एक ऐसा निष्कर्ष है जो हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता है। रेलवें संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम की धारा 3 की सभी सामग्री को स्थापित किया गया। (पारस-7,8 और 11) (1090-सी, डी, ईय 1091-ई)

1.2 जहाँ तक सजा का संबध है, पहली बार किए गए अपराध के लिए, एक वर्ष की न्यूनतम सजा को निर्धारित किया गया है। इसलिए नीचे की अदालतों ने एक साल की सजा ठीक ही सुनाई है। (पैरा-11)

महाराष्ट्र राज्य बनाम विश्वनाथ तुकाराम (1979) 4 एस. सी. सी. 23-संदर्भित

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकारिता आपराधिक अपील सं. 145/2008

सी. आर. एल. में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 4.5.2007 दिनांकित निर्णय/अंतिम आदेश से आर. न. 156/2000 से।

बी. एस जैन अपीलार्थी के लिए, अजय वीर सिंह, मनीष राघव, आनंद मिश्रा और डॉ. (श्रीमती) विपिन गुप्ता।

प्रत्यर्थी के लिए अनिल के. झा।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था।

2. इस अपील में चुनौती इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को खारिज करने के लिए है। धारा

397 के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 401 के साथ पढ़ें (संक्षेप में ' संहिता ')।

3. संशोधन में चुनौती विद्वान सत्र न्यायाधीश एक द्वारा पारित आदेश के लिए थी 1990 के आपराधिक अपील No.2060 में जिसके द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि और सजा का क्रम विद्वान अतिरिक्त सी. जे. एम. की पुष्टि हुई।

4. संक्षेप में पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार हैं:

दिनांक 22.01.2019 को उस ट्रक के बारे में जानकारी मिलने पर कि मीनाक्षी ट्रेडर्स के एक ट्रक नम्बर यूपी 93 1665 को कबाड़ में लादा जा रहा था। कास्ट आयरन ग्रेड-1 के साथ झांसी का यार्ड अवैध रूप से कास्ट आयरन के साथ इंस्पेक्टर आर. के. राजपूत, डिप्टी एम. यू. फारूकी के साथ मौके पर गए और उन्हें एक ट्रक No.UP-93 नीलामी हॉल के पास मिला जो कास्ट आयरन से भरा हुआ था। प्रभारी अधीक्षक ने हेड कांस्टेबल 878 तारादत सती और डी. एस. के. लाला राम को बुलाया। उन्हें चढ़ने के लिए कहा गया और ट्रक को ऊपर उठाएँ और एक नजर डालें, और जाँच करने के बाद, उन्होंने बताया कि कुछ कास्ट आयरन ग्रेड-1 ट्रक में भरा हुआ था। उस समय पर ठेकेदार के साथ वर्तमान अपीलार्थी भी था। ट्रक के पास कुछ लोगो के साथ मौजूद ठेकेदार ने अपने मजदूरों को बुलाया और कास्ट आयरन ग्रेड-1 को ट्रक से उतार दिया। यह पाया गया कि 22 कैरेट

कास्ट आयरन ग्रेड-1 बिना बार बांधे थे। ट्रक के अंदर लगभग 7 टन कच्चा लोहा ग्रेड-2 लोड किया गया था। यह स्वीकार किया गया कि किसी भी कास्ट आयरन ग्रेड 1 को लोड नहीं किया जा सकता था। आवश्यक जाँच की गई और यह पाया गया कि रेलवे संपत्ति, यानी कास्ट आयरन ग्रेड 1 अनाधिकृत रूप से ले जाया जा रहा था। एक शिकायत दर्ज की गई थी और रिकॉर्ड पर साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद झाँसी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपीलार्थी को दोषी पाया। रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम 1966 (संक्षेप में 'रेलवे अधिनियम') की धारा 3 के तहत 1,000/- रूपयें के जुर्माने के साथ एक साल के कारावास की सजा सुनाई।

5. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विद्वान सत्रों के समक्ष एक अपील न्यायाधीश, झांसी ने अपीलार्थी को कोई राहत नहीं दी और इसलिए उच्च न्यायालय के समक्ष भी संशोधन किया गया था।

6. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने यह रुख अपनाया कि अपीलार्थी वस्तुओं का स्वामी नहीं था और वह केवल एक मजदूर था। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि अपीलार्थी पहले ही आठ महीने से अधिक की सजा काट चुका है और तब से सजा केवल एक वर्ष है, अपीलार्थी द्वारा पहले ही पूरी की जा चुकी अवधि तक ही उस को घटाया जा सकता है।

7. अभिलेख पर साक्ष्य से यह पाया गया कि कास्ट आयरन ग्रेड-1 की उपस्थिति पर विवाद नही किया गया है। वर्तमान में जो रूख अपनाया

गया है वह यह है कि कोई और नीलामी खरीदार था और अपीलार्थी की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन सभी चरणों में, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ट्रक के पास मौजूद था, उसे ठेकेदार के रूप में वर्णित किया गया था और उसकी उपस्थिति में विश्लेषण किया गया था और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह भी स्पष्ट है कि ठेकेदार के रूप में उन्हें वस्तुओं को उतारने के लिए कहा गया था और उन्होंने अपने मजदूरों को सामान उतारने के लिए बुलाया था।

8. इसलिए, यह निष्कर्ष कि वह गैरकानूनी कब्जे में था। कास्ट आयरन ग्रेड-1 एक ऐसा निष्कर्ष जिस में हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। रेलवे संपत्ति, जैसा कि धारा 2 खंड में परिभाषित किया गया है ((घ) अधिनियम इस प्रकार हैः-

> "धारा 2 (डी) प्रेलवे संपत्तिष् में कोई भी वस्तु, धन या मूल्यवान सुरक्षा या पशु, संबंधित, या मूल्यवान सुरक्षा या पशु संबधित या प्रभारी या रेलवे प्रशासन का अधिकार में शामिल है।"

9. धारा 3 अवैध रूप से रेलवें संपति रखने के लिए दंड से संबंधित है। वही इस प्रकार हैः

> "3. जिसे भी पाया जाता है, या साबित किया जाता है, चोरी या गैरकानूनी रूप से प्राप्त की गई किसी भी रेलवे

संपत्ति का कब्जा जब तक कि वह साबित करता है कि रेलवे की संपत्ति उसके पास कानूनी रूप से कब्जें में आई थी, दण्डनीय होगा-

(क) पहले अपराध के लिए, एक अवधि के लिए कारावास के साथ जो पांच साल तक बढ़ सकता है, या जुर्माने के साथ, या दोनों के साथ और न्यायालय के निर्णय में उल्लेखित विशेष एंव पर्याप्त कारणों के अभाव में जैसें कि कारावास एक वर्ष से कम नहीं होगा और ऐसा जुर्माना एक हजार रुपये से कम नहीं होगा।

(ख) दूसरे या बाद के अपराध के लिए पाँच साल तक की अवधि के लिए कारावास और जुर्माने के साथ भी और न्यायालय कें निर्णय में उल्लेखित विशेष एंव पर्याप्त कारणों के अभाव में ऐसा कारावास दो वर्ष से कम नहीं होगा और ऐसा जुर्माना दो हजार रुपये से कम नहीं होगा।"

10. महाराष्ट्र राज्य बनाम विश्वनाथ तुकाराम (1979) (4) एस. सी. सी. 23), यह देखा गया कि निम्नलिखित अवयव हैं - धारा 3 को लागू करने के लिए आवश्यकः

(1) विचाराधीन संपत्ति रेलवे की संपत्ति होनी चाहिए।

(2) इसके चोरी होने या गैरकानूनी तरीके से प्राप्त होने का यथोचित संदेह होना चाहिए।

(3) यह पाया या साबित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त उस संपति के कब्जें में था।

11. तत्काल मामले में, सभी सामग्री स्थापित की गई है। जहाँ तक सजा का संबंध है, पहली बार किए गए अपराध के लिए न्यूनतम एक वर्ष की सजा को निर्धारित किया गया है। ऐसा होने पर, नीचे की अदालतों ने एक साल की सजा सही सुनायी।

12. उपरोक्त पद होने के कारण, इस अपील में कोई योग्यता नहीं है, जिसे तदनुसार खारिज कर दिया जाता है। याचिका खारिज कर दी गई।

एस.के.एस. अपील खारीज ।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी जयश्री मीणा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।